38/20
जिला कले
श्रीगंगानग

अपील सूचना अधिकार संख्या 38/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10–01–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 29.12.15 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर से सूचनांए चाही गयी थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई हैं, जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

मैने अपीलार्थी के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 29.12.15 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. आपका पत्रांक 2804 दिनांक 16.12.2015 प्रार्थी को दिनांक 25.12.2015 को प्राप्त हुआ है यह पत्र जिस दिवस प्रेषण, जिस माध्यम से किया गया है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि
2. पत्र प्रेषित करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।
3. पत्र प्रेषण पुस्तिका (रजिस्टर) में पत्र सख्यां दर्ज होने के उपरान्त जिस–जिस अवधि तक उपरोक्त पत्रांक जिस–जिस कर्मकार के पास रहा है उसका नाम व पद की सूचना।
4. पत्र प्रेषण लिपिक जिसे अधिकारी के अधीन अपने कर्तव्यों का निस्पादन करता है उसका नाम वं पद की सूचना।
5. लोक सेवा गांरटी अधिनियम व विभागीय नियमो से अवगत पत्र प्रेषण के पश्चात, संचार माध्यम को प्रेषण हेतु भेजने में जो समयावधि निर्धारित है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक विभागीय लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 473 दि0 10.03.2016 के साथ अपीलार्थी को दिये गये उत्तर कमांक 09 दिनांक 05.01.2016 की प्रति के अवलोकन से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर 38/2016

क.सं.	चाही गयी सूचना	जवाब
1.	आपका पत्रांक 2804 दिनांक 16.12.2015 प्रार्थी को दिनांक 25.12.2015 को प्राप्त हुआ है यह पत्र जिस दिवस प्रेषण, जिस माध्यम से किया गया है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि	पत्रांक 2804 दिनांक 16.12.2015 दिनांक 16.12.2015 को ही सामान्य डिस्पेच शाखा को भिजवाया गया। प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु एक पृष्ठ के 2 रूपये शुल्क जमा कराये।
2.	पत्र प्रेषित करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।	श्री राजेश महेन्द्रा लिपिक ग्रेड–2
3.	पत्र प्रेषण पुस्तिका (रजिस्टर) में पत्र सख्यां दर्ज होने के उपरान्त जिस–जिस अवधि तक उपरोक्त पत्रांक जिस–जिस कर्मकार के पास रहा है उसका नाम व पद की सूचना।	उक्त पत्र डिस्पेच शाखा के कर्मी श्री उमाशंकर मीणा के पास पैन्डिंग रहा। उमाशंकर मीणा द्वारा उक्त पत्र दिनांक 18.12.2015 को डाक द्वारा सम्प्रेषित कर दिया गया। इस कार्यालय द्वारा उक्त पत्र दिनांक 16.12.2015 को सामान्य डिस्पेच शाखा में भिजवा दिया गया था जंहा से दिनांक 18.12.2015 को डिस्पेच शाखा द्वारा डाक विभाग को प्रेषित कर दिया गया। दिनांक 19.12.2015, 20.12.2015 व 24.12.2015 से 27.12.2015 तक अवकाश होने के कारण उक्त पत्र डाक विभाग में रहा।
4.	पत्र प्रेषण लिपिक जिसे अधिकारी के अधीन अपने कर्तव्यों का निस्पादन करता है उसका नाम व पद की सूचना।	अति. जिला कलक्टर (सर्तकता) प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा
5.	लोक सेवा गांरटी अधिनियम व विभागीय नियमो से अवगत पत्र प्रेषण के पश्चात, संचार माध्यम को प्रेषण हेतु भेजने में जो समयावधि निर्धारित है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	प्रति संलग्न है।

अपीलार्थी द्वारा अपने उक्त प्रा0 पत्र में कुल 5 बिन्दुओ की सूचना चाही थी जिसका बिन्दुवार उत्तर लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार जरिये पत्र दिनांक 05.01.2016 द्वारा दिया जा चुका है। जबकि अपीलार्थी ने अपनी अपील दिनांक 26.02.16 में सूचनाओं से माहरूम होना बताया है जो उचित प्रतीत नही होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** फिर भी लोक सूचना अधिकारी ने सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को देखते हुए अपीलार्थी को बिन्दुवार सूचना तैयार कर उत्तर दिया है जो सही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। **बिन्दु सं0 1 की सूचना के लिए 2रूपये फीस जमा करवाने के लिए लिखा गया है जो वह जमा करवाकर प्राप्त कर सकता है।** इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

219-20
25-1-17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय उपलब्ध किसी निश्चित अभिलेख का निरीक्षण कर उसमें से कोई प्रतिलिपि लेना चाहे तो उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 10.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर